



## लोक अदालतें

### प्रलिस के लयल:

लोक अदालत, नालसा

### मेन्स के लयल:

लोक अदालत एवं संबधतल कषेत्राधकलर का महत्त्व ।

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कैदयलौं के मुकदमों के त्वरतल नपलटारे के लयल जेलों में **लोक अदालत** शुरू की ।

- प्रत्येक शनवलर को ये अदालतें लगेगी । साथ ही वचलराधलन कैदी या/और दोषसदलध वयकृतर को दलील पेश करने या मामले को सुलझाने संबधी उनके अधकलरों एवं वधलकल वकल्लुओं को भी स्पष्ट कयल जाएगा ।

## लोक अदालत:

### ■ परचलत:

- 'लोक अदालत' शबद का अरथ 'पीपुलस कोरट' है और यह गांधीवादी सदलधान्तों पर आधरतल है ।
- **सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलतल न्यायनरलणयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है ।
- यह **वैकल्पकल ववलद समाधान (ADR) प्रणाली** के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारकल, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है ।
- इस संबध में नरलणयलौं हेतु पहला **लोक अदालत शवलरल वर्ष 1982 में गुजरात में एक सर्वैच्छकल और सुलह एजेंसी** के रूप में बना कसलल वैधानकल समरथन के आयोजतल कयल गया था ।
- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रयलता को देखते हुए इसे **कानूनी सेवा प्राधकलरण अधनलतल, 1987** के तहत वैधानकल दरजा दयल गया था । यह अधनलतल लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबधतल प्रावधान करता है ।

### ■ संगठन:

- राज्य/जलला कानूनी सेवा प्राधकलरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समतल अंतराल के साथ वभलनलन स्थानों पर तथा कषेत्राधकलर का प्रयोग करने व ऐसे कषेत्रों के लयल **लोक अदालतों का आयोजन कर सकती** है जलनलहें वह उचतल समझे ।
- कसलल कषेत्र के लयल आयोजतल **प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानवृत्त न्यायकल अधकलरल** और कषेत्र के अन्य वयकृतर शामिल होंगे, जैसा कल **आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा नरदषलट कयल जाएगा** ।
  - सामान्यत: लोक अदालत में अधयकष के रूप में एक न्यायकल अधकलरल, एक वकील (अधवलकृतर) और एक सामाजकल कारयकरृतर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं ।
- **राष्ट्रीय वधकल सेवा प्राधकलरण** (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है ।
  - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधकलरण अधनलतल, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को कयल गया था जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सकषम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एकसमान नेटवर्क स्थापतल करने के लयल लागू हुआ था ।
- सार्वजनकल उपयोजतल सेवाओं से संबधतल मामलों से नपलटने के लयल स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधकलरण अधनलतल, 1987 में संशोधन कयल गया था ।

### ■ कषेत्राधकलर:

- लोक अदालत के पास ववलद के समाधान के लयल पकषों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधकलर कषेत्र होगा:
  - कसलल भी न्यायालय के समकष लंबतल कोई मामला, या
  - कोई भी मामला जो कसलल न्यायालय के अधकलर कषेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समकष नहीं लाया जाता है ।
- अदालत के समकष लंबतल कसलल भी मामले को नपलटान के लयल लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदल:

- दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को नपिटाने के लिये सहमत हों या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
- पूर्व-मुकदमेबाज़ी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवज़े के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जाते हैं।
- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर के हैं।

#### ■ शक्तियाँ:

- लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो **सिविल प्रक्रिया संहिता (1908)** के तहत एक सिविल कोर्ट में नहित होती हैं।
- इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के **निरधारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।**
- **लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी** और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
- लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक नरिणय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

#### ■ महत्त्व:

- इसके तहत कोई **न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का नपिटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।**
- विवाद नपिटन हेतु **प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है।** लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
- विवाद के पक्षकार सीधे अपने **वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं** जो कानून की नयिमति अदालतों में संभव नहीं है।
- लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला **नरिणय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है**, जिससे अंततः विवादों के नपिटारे में देरी नहीं होती है।

#### नषिकर्ष:

इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालतों को मज़बूत करने और उन्हें उन लोगों को अदालतों का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते, के लिये मुकदमेबाज़ी का पूरक रूप बनाने के लिये मौजूदा कानूनों को अधिक सशक्त बनाने और उनके रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है।